Title: Non-payment of arrears and salaries to the employees of Ganesh Sugar Mill, Anandnagar, U.P.

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अन्तर्गत राट्रीय वस्त्र निगम द्वारा गणेश शुगर मिल आनंद नगर, जनपद महाराजगंज का संचालन हो रहा था। कु- प्रबंधन के कारण वह चीनी मिल बंद हो गई। गणेश शुगर मिल, आनंद नगर और एलगिन मिल, कानपुर सहित कई चीनी मिलों के वाइंडिंग-अप का आदेश दिनांक 29.9.1999 को दिया गया और उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने चीनी मिलों के संबंध में अलग-अलग अपीलों पर दिनांक 29.9.1999 के वाइंडिग-अप के आदेश को स्थगित कर दिया। गणेश शुगर मिल, आनंद नगर के पक्ष में भी स्थगन आदेश प्रभावी है। भारत सरकार के तत्कालीन संसदीय कार्य राज्य मंत्री, श्री श्रीराम चौहान जी के पत्र दिनांक 5.11.1999, जो ऐलगिन मिल, कानपुर तथा कानपुर टैक्सटाइल मिल, कानपुर के मजदूरों और कर्मचारियों को वेतन दिये जाने के संबंध में दिया गया था, दिनांक 29.11.1999 के पत्र के माध्यम से माननीय कपड़ा मंत्री काशीराम राणा जी के द्वारा श्री राम चौहान जी को यह बताया गया कि उपरोक्त मिलों के कर्मचारियों और मजदूरों को वेतन धनराशि का भुगतान किया गया। परंतु अभी तक गणेश शुगर मिल आनंद नगर मिलों के मजदूरों का भुगतान नही किया गया। यह गणेश शुगर मिल के मजदूरों और कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? मैं सरकार से मांग करता हूं कि गणेश शुगर मिल, आनंद नगर को तत्काल प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे। भारत सरकार की श्रम नीति के अन्तर्गत 9.9.1997 से लागू स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ गणेश शुगर मिल आनंद नगर के कर्मचारियों और श्रमिकों को दिया जाये। यदि सरकार मिल नहीं चला सकती है तो मिल के विक्रय हेतु वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र उच्च न्यायालय को जारी करे और अपना एक प्रतिनिधि भेजकर उच्च न्यायालय में अपील करे।

â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ज़ीरो ऑवर में पढ़ना ठीक नहीं है।

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम पढ़ नही रहे हैं। हम तथ्यों को उजागर कर रहे हैं। हमारा सरकार से पुरजोर आग्रह है कि इस सदन के अंदर गणेश शुगर मिल, आनंद नगर का मुद्दा उठ चुका है परंतु अभी तक सरकार द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दो लोगों ने इस मिल को खरीदने के लिए अपने टेंडर भी दिये हैं परंतु भारत सरकार अभी तक अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दे रही है। कृपया भारत सरकार तत्काल माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अनापत्ति प्रमाण पत्र दे ताकि वह मिल चालू हो सके।